प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो दिवसीय इज़रायल यात्रा 25 से

रक्षा, एआई पर होगी द्विपक्षीय चर्चा

नई दिल्ली,23 फ़रवरी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इज़रायल का दौरा करेंगे, जिसमें रक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और साइबर सुरक्षा पर द्विपक्षीय बैठकों में चर्चा होगी. यह मोदी का इज़रायल का दूसरा दौरा है; पहले वह जुलाई 2017 में गए थे. इज़रायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मोदी के स्वागत में इसे 'दो वैश्विक नेताओं के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन' करार दिया.

मोदी की यात्रा को लेकर आलोचनाएं भी हैं. अल जज़ीरा ने कहा कि भारत की इज़रायल नज़दीकी फिलिस्तीन के प्रति समर्थन को कमजोर कर सकती है. हालांकि, भारत की नीति व्यावहारिक और स्वतंत्र है, जिसमें इज़रायल और फिलिस्तीन के साथ संबंध अलग-अलग तरीके से संचालित होते हैं. यात्रा से पहले भारत-अरब विदेश मंत्रियों की बैठक में फिलिस्तीन के प्रति समर्थन दोहराया गया और गाजा के पुनर्निर्माण पर चर्चा हुई. विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत ने इज़रायल के साथ रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने के साथ-साथ अरब देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है. इज़रायल उच्च तकनीकी और सैन्य सहयोग का महत्वपूर्ण स्रोत है, जबकि भारत-इज़रायल-यूएई-अमेरिका और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा जैसी परियोजनाओं में सहयोग से क्षेत्रीय स्थिरता और प्रगति सुनिश्चित होती है. दौरे के दौरान दोनों पक्ष रक्षा, एआई, साइबर सुरक्षा और नवाचार पर विस्तार से विचार-विमर्श करेंगे, जिससे द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी.

> सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोदी ने कहा कि भारत-इजरायल दोस्ती विश्वास, नवाचार और शांति व प्रगति पर आधारित है. वे अपने दौरे में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय सहयोग और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे. इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी कहा कि दोनों देशों का संबंध एक सशक्त वैश्विक गठबंधन का प्रतीक है और एआई, सुरक्षा तथा क्षेत्रीय सहयोग में साझेदारी लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है. इस दौरे से रक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और नवाचार सहित राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में भारत-इजरायल संबंध और मजबूत होंगे.

तिरुपति लड्डू मामले में आंध्र की जांच समिति चुनौती खारिज की

नयी दिल्ली, 23 फरवरी. उच्चतम न्यायालय ने तिरुपति मंदिर के लड्डुओं के घी में मिलावट की जांच के लिए एक-सदस्यीय जांच समिति बनाने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने डॉ सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिका में कहा गया था कि अगर राज्य समानांतर रूप से जांच करता है तो शीर्ष अदालत द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की आपराधिक जांच में खलल पड़ेगा. उच्चतम न्यायालय ने कहा कि दोनों ही प्रक्रियाएं कानून के हिसाब से चलती रहनी चाहिए. पीठ ने कहा कि एसआईटी की जांच पूरी हो गयी है और राज्य की प्रशासनिक जांच से उसपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. एसआईटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जनवरी में प्रस्तुत कर दी थी.

अमेरिका के उत्तर-पूर्वी हिस्से में बर्फीला तूफान

वाशिंगटन , 23 फरवरी. वाशिंगटन डीसी. से लेकर बोस्टन तक अमेरिका के उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक तेज बर्फीला तूफान पहुँच गया है, जिससे यात्रा पर रोक लगाई गई, स्कूल बंद किए गए और हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ीं.

▶ **हजारों उड़ानें रद्द और स्कूल बंद**

नेशनल वेदर सर्विस ने इसे 'उत्तर-पूर्व के लिए बड़ा शीतकालीन तूफान' बताया. मौसम विभाग के अनुसार सोमवार तक उत्तरी मिड-अटलांटिक और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में तेज बर्फबारी होगी, कुछ जगहों पर एक घंटे में दो से तीन इंच बर्फ गिरने की संभावना है, जबकि कुल बर्फबारी दो फीट तक पहुँच सकती है.

न्यूयॉर्क सिटी में रविवार रात 9 बजे से सोमवार दोपहर तक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया. मेयर ज़ोहरन ममदानी ने सभी गैर-ज़रूरी यात्रा से बचने का निर्देश दिया. सोमवार को शहर के स्कूल भी बंद रहेंगे. न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में भी सड़कों पर रात के समय निकलने पर रोक और यात्रा प्रतिबंध लागू किए गए. कई राज्यों ने आपातकाल घोषित किया. हवाई यात्रा भी प्रभावित हुई है.

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8-(1)

चूँकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत IIFL होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नाम से विख्यात) (IIFL-HFL) के प्राधिकृत अधिकारी हैं और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/सह-उधारकर्ताओं को राशि चुकाने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था, अतः उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। उधारकर्ता विशेष रूप से और आम जनता को एतद्द्वारा संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन IIFL HFL के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि नीचे उल्लिखित राशि पर ब्याज सहित लगाया जाएगा। उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। यदि उधारकर्ता बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय "IIFL HFL" के बकाया और सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों का भुगतान कर देता है, तो सुरक्षित संपत्तियां नहीं बेची जाएंगी।

उधारकर्ता का नाम /सह-उधारकर्ता	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया बकाया राशि (रू.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री हीरा लाल श्रीमती संतोष श्रीमती संतोष (प्रॉस्पेक्ट नं. IL 928149)	प्लॉट संख्या C-05 (C05/A) के उत्तरी भाग में स्थित संपत्ति का पूरा टुकड़ा, प्रसिद्ध विला कॉलोनी ग्राम ताजखेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर 453115 वर्ग फुट क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, विक्रय योग्य क्षेत्र अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रः संपत्ति का क्षेत्रफलः 400.00, 400.00, 870.00	रू. 1440356/- चौदह लाख चालीस हजार तीन सौ छप्पन मात्र	04-12-2025	20/02/2026
श्री विकास शर्मा श्री कैलाश चंद्र शर्मा श्रीमती प्रेमलता शर्मा (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10288891)	प्लॉट संख्या 250 साई धाम कॉलोनी, ग्राम- घटाबिल्लोद, तहसील-धार, जिला- इंदौर का दक्षिणी भाग क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकारः भूमि क्षेत्र, अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रः 400.00, 450.00	रू. 1136829/- ग्यारह लाख छत्तीस हजार आठ सौ उनतीस मात्र	14-10-2025	20/02/2026

अधिक जानकारी के लिए, कृपया शाखा कार्यालयः 102/103, दर्शन मॉल, 15/2 रेस कोर्स रोड, इंदौर- 452001, मध्य प्रदेश या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा में अधिकृत अधिकारी से संपर्क करें।

स्थानः इन्दौर
दिनांकः 24.02.2026

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी,
आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड के लिए।

पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय का निधन

कोलकाता,23 फरवरी. पश्चिम बंगाल के जाने-माने नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल रॉय का 23 फरवरी (सोमवार) को कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया. वे 71 वर्ष के थे और साल्ट लेक के प्राइवेट अस्पताल अपोलो में रात करीब 1:30 बजे अंतिम सांस ली.

मुकुल रॉय तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक सदस्य और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे. 1998 में ऋस्ट गठन के बाद उन्होंने संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने संप्रग-2 (क्र-2) सरकार में केंद्रीय रेल मंत्री और जहाजरानी राज्य मंत्री के रूप में काम किया. 2006 में राज्यसभा के लिए चुने गए और 2009 से 2012 तक पार्टी के नेता रहे. 2017 में मतभेदों के कारण भाजपा में शामिल हुए, जहां उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 2021 में वे टीएमसी में लौट आए. हाल के वर्षों में उनकी सेहत बिगड़ गई थी.

मार्च 2023 में हाइड्रोसेफेलस के लिए ब्रेन सर्जरी हुई. जुलाई 2024 में सिर में चोट और ब्लड क्लॉट हटाने के लिए दूसरी सर्जरी हुई. इसके अलावा, वे डिमेंशिया, पार्किंसंस, क्रॉनिक डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे.

तीन दिवसीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 25 से

नई दिल्ली,23 फरवरी. आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) पूसा परिसर में 25 से 27 फरवरी तक वार्षिक पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 आयोजित करेगा. मेले का उद्घाटन 25 फरवरी को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रातः 10:30 बजे किया जाएगा. इस अवसर पर डेयर के सचिव और आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट विशिष्ट अतिथि होंगे. इस वर्ष की थीम 'विकसित कृषि – आत्मनिर्भर भारत' है, जो किसानों की आय सुदृढ़ करने, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने और जलवायु-अनुकूल सतत कृषि को बढ़ावा देने पर केंद्रित है. मेले में उन्नत फसल किस्में, जलवायु-स्मार्ट तकनीक, सटीक खेती उपकरण, जल-संरक्षण समाधान, प्राकृतिक एवं जैविक खेती मॉडल और डिजिटल कृषि नवाचार प्रदर्शित किए जाएंगे. देशभर से एक लाख से अधिक किसान, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सीधे संवाद कर क्षेत्र-विशिष्ट कृषि समस्याओं के समाधान जान सकेंगे.

आज का इतिहास

- 1998 - हिन्दी फ़िल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पवार का निधन.
- 2001- पाकिस्तान भारत से परमाणु निवारण के लिए वार्ता को तैयार.
- 2004- रूस के राष्ट्रपति ब्लादीमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मिखाइल कास्यानोव को उनके पद से हटाया.
- 2006 - फिलीपींस में तख्तापलट की कोशिश के बाद आपातकाल लागू.
- 2008 - मुम्बई की शगुन साराभाई ने जोहांसवर्ग में मिस इण्डिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता.

पश्चिम रेलवे – रतलाम मंडल
बिजली विभाग (पॉवर)
ई–निविदा सूचना

संख्या : EL-2025-26-50, दिनांक : 20.02.2026. मंडल रेल प्रबंधक (बिजली/पॉवर शाखा) पश्चिम रेलवे रतलाम भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए ''खुली निविदा'' ई–निविदा के माध्यम से वेब–साईट **www.ireps.gov.in** पर आमंत्रित करते है। विवरण इस प्रकार है:
ई टेंडरिंग संख्या : EL-2025-26-50, **कार्य का नाम** : Ratlam Division - Chanderia - Electrical work in connection with Development of various amenities at Chanderiya (CNA) goods shed, **अनुमानित लागत** : ₹ 6444786.53, **बयाना राशि:** ₹ 128900.00 , **निविदा खुलने की तिथि** : 24.03.2026. विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य शर्ते वेब–साईट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। ADM/7/1/475

Follow us on: twitter.com/WesternRly

न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (डॉ. रिकेश कुमार वैश्य), जिला इंदौर (म.प्र.)
(प्रशासनिक संकुल कक्ष क्र. जी 11)

क्रमांक / 1174 / अकरी / 2026 — **इंदौर दिनांक 23/02/2026**
प्रकरण क्र. / 0539 / ब-121 / 2025-26

पेपर विज्ञप्ति

प्रति,
1. श्री राहुल पिता घनश्याम कुमार
2. श्रीमती निक्की पति राहुल कुमार
पता : 140, लालघाटी, दतोदा, महू, इन्दौर – 453441 (म.प्र.)
द्वितीय पता : मकान नंबर 229, लालघाटी, दतोदा, महू, इन्दौर – 453441 (म.प्र.)
तृतीय पता : चोईथराम मण्डी, इन्दौर – 452001 (म.प्र.)
3. मेसर्स राहुल कुमार प्याज एवं आलू ट्रेडिंग कंपनी
पता: 140, लालघाटी, दतोदा, महू, इन्दौर 453441 (म.प्र.)

द्वारा:– पेपर प्रकाशन ।

प्राधिकृत अधिकारी, नोर्दन एआरसी केपिटल लिमिटेड (पूर्व में IFMR), रजिस्टर्ड आफिस: 10 फ्लोर, फेस – 1, आयआयटी मद्रास रिसर्च पार्क, कनागम विलेज, तारामणि, चेन्नई – 600113, कॉपरेट आफिस: द केपिटल आफिस नंबर 908–ए विंग 9 फ्लोर, प्लाट नंबर सी – 70, ब्रान्दा–कुर्ला काम्पलेक्स, ब्रान्दा (ईस्ट), 400051 मुम्बई द्वारा निवेदन किया गया हैं कि **बंधक संपत्ति** मकान नंबर 229, ग्राम दतोदा, तहसील महू, जिला इन्दौर – 453441 (म.प्र.) पर बकाया ऋण राशि का चुकारा आपके द्वारा नहीं किया गया और न ही प्रतिभूमि संपत्ति का कब्जा ही सौंपा गया हैं। अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूतहित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 14 में प्रतिभूमि के रूप में रखी संपत्ति का कब्जा दिलाया जावे ।

अतः इस संबंध में एतदब द्वारा सूचित किया जाता हैं कि मामले की सुनवाई हेतु न्यायालय अपर कलेक्टर जिला इंदौर कक्ष क्रमांक जी–11 में दिनांक 27.02.2026 को दोपहर 03:00 बजे होगी । आप प्रकरण के संबंध में समस्त दस्तावेज व साक्ष्य सहित उपस्थित रहें। आपकी अनुपस्थिति की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

एस.डी./–
अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
जिला इंदौर (म.प्र.)
इंदौर दिनांक: 23/02/26

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

TATA — पंजीकृत कार्यालय : 11वीं मंजिल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल मुंबई - 400013. CIN No. U67190MH2008PLC187552. Contact No. (022) 61827414, (022) 61827375
शाखा कार्यालय : 9/1/1, सुरज भवन, दूसरी मंजिल, यस बैंक के उपर, एम.जी. रोड़, इन्दौर -452001.

आधिपत्य सूचना (अचल संपत्तियों के लिये)
(प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के परिशिष्ठ IV सपठित नियम 8(1) के अंतर्गत)

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा13 (12) सपठित नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रवर्तन करके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न ऋणी(यों) से नीचे उल्लेखित सूचना प्राप्ति दिनांक से 60 दिन के अंदर ऋण राशि अदा करने की मांग की गई थी।
चूंकि ऋणी(यों) ने अदायगी में त्रुटि की है अत: ऋणी(यों) तथा सर्वसाधारण जनता को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उपरोक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत प्राप्त कर लिया है।
ऋणी(यों) को विशेषत: तथा समस्त जनता को साधारणत: सतर्क किया जाता है कि इन सम्पत्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार न करें और यदि कोई संव्यवहार किया गया तो वह **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के ऋणी(यों) के समक्ष नीचे दर्शाई गई मांग सूचना दिनांक से ब्याज एवं दण्ड ब्याज, खर्चे, लागत अन्य के अधीन होगा।
ऋणकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋण खाता क्र.	बाध्यताधारीयों/कानूनी वारिसों/कानूनी प्रतिनिधियों के नाम	मांग सूचना अनुसार राशि	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक	कब्जे का प्रकार
10160701	श्री राजेश प्रजापत (ऋणी) , श्रीमती सोरम बाई प्रजापत (सह ऋणी)	Rs. 6,83,667/-	11-12-2025 / 19-02-2026	सांकेतिक कब्जा
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: उक्त अचल संपत्ति .हाईवे ग्लोरी. परियोजना में स्थित एल.आई.जी. प्लॉट क्रमांक 19 पर निर्मित एक आवासीय मकान है, जो सर्वे क्रमांक 115/13, 115/14, 114/3/15/1/2/मिन-1 एवं 114/2/1 में स्थित है। उक्त प्लॉट का क्षेत्रफल 590.00 वर्ग फुट (अर्थात 54.83 वर्ग मीटर) है। यह संपत्ति ग्राम बड़ोदिया ऐमा, तहसील सांवेर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश में स्थित है। **उक्त संपत्ति की सीमाएं निम्नानुसार हैं :** पूर्व में : सड़क, पश्चिम में : प्लॉट क्रमांक 341 एवं 342, उत्तर में : एल.आई.जी. प्लॉट क्रमांक 18, दक्षिण में : एल.आई.जी. प्लॉट क्रमांक 20				
9659667	श्री रमेश डोरिया (ऋणी) , श्रीमती सुमन बाई डोरिया (सह ऋणी)	Rs. 11,77,239/-	11-12-2025 / 19-02-2026	सांकेतिक कब्जा
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश, जिसमें निर्मित आवासीय भवन, प्लॉट क्रमांक 68 (दक्षिणी भाग), .भक्त श्री जालाराम नगर कॉलोनी., वार्ड क्रमांक 05, स्थित ग्राम इटावा, पी.एच. क्रमांक 42, तहसील एवं जिला देवास में स्थित है। **सीमाएँ निम्नानुसार हैं:** पूर्व: 9.00 मीटर चौड़ी कॉलोनी सड़क, पश्चिम:प्लॉट क्रमांक 61, उत्तर: मकान क्रमांक 68 (उत्तरी भाग), दक्षिण:प्लॉट क्रमांक 69				
9557972	श्री विजयंत भंडारी जैन (ऋणी) , श्रीमती निर्मला बाई जैन एवं श्रीमती खुशबू जैन (सह ऋणी)	Rs. 4,23,252/-	10-12-2025 / 20-02-2026	सांकेतिक कब्जा
सुरक्षित संपत्तियों/अचल संपत्तियों/बंधक संपत्तियों का विवरण: संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश, जिसमें फ्लैट क्रमांक 101, प्रथम तल, ब्लॉक-Y (जेसमिन अ-6), .आवासा प्रोजेक्ट., स्थित ग्राम बीजलपुर, तहसील एवं जिला इंदौर में निर्मित है। उक्त फ्लैट का निर्मित क्षेत्रफल 886 वर्ग फुट (अर्थात 82.34 वर्ग मीटर) तथा सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 1195 वर्ग फुट (अर्थात 111.05 वर्ग मीटर) है। **सीमाएँ निम्नानुसार हैं:** पूर्वः लिफ्ट एवं फ्लैट क्रमांक 102, पश्चिम: भवन का खुला स्थान (ओपन एमओएस), उत्तर: भवन का खुला स्थान (ओपन एमओएस), दक्षिण: फ्लैट क्रमांक 105				

दिनांक : 24.02.2026 — हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : इंदौर (म.प्र.) — वास्ते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

एच.डी.एफ.सी. बैंक लि.

HDFC BANK — We understand your world
पंजीकृत कार्यालयः एच.डी.एफ.सी. बैंक हाऊस, सेनापती बापट मार्ग लोअल परेल(पश्चिम) मुंबई- 400013
शाखा: एच.डी.एफ.सी. हाऊस, 10-A/1, एम.जी. रोड, इन्दौर-452001, **CIN:** L65920MH1994PLC080618, **वेबसाईट :** www.hdfcbank.com

आधिपत्य सूचना

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के सपठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत **एचडीएफसी बैंक लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी/यों (पूर्ववर्ती एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के आदेश के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन की एक योजना के आधार पर एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ विलय हो गया है) द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना पत्र जारी कर निम्नलिखित ऋणियों/वैध वारिसों/वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशियों के भुगतान तथा/ या वसूली की दिनांक तक आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित कथित सूचनाओं की दिनांक से 60 दिन के अंदर सूचनाओं में अंकित लागू दरों पर ब्याज सहित अदा करने करने हेतु निर्देशित किया था।

क्र.	ऋणीयों/वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम	बकाया राशि	मांग नोटिस की दिनांक	आधिपत्य दिनांक	अचल संपत्ति (यों)/ सुरक्षित आस्ति (यों) का विवरण
1	श्री गजानन नारायण अम्बारकर एवं श्रीमती प्रीति गजानन अम्बारकर	₹ 21,77,506/- + ₹ 8,33,757.76/- = ₹ 30,11,263.76/- as on 31/10/2025	13/11/2025	19/02/2026 (सांकेतिक आधिपत्य)	फ्लैट क्रमांक 101, प्लॉट क्रमांक 174,मानस व्यू अपार्टमेंट, चिकित्सक नगर, इंदौर – 452010, **फ्लेट का सुपर बिल्ट–अप क्षेत्रफल 93.21 वर्गमीटर** है, **चर्तुःसीमाएं :** उत्तर – फ्लेट क्रमांक 102, दक्षिण– अन्य अपार्टमेंट, पूर्व –सड़क, पश्चिम–सड़क
2	श्री महेन्द्र रावल एवं श्री नवीन रावल	₹ 20,49,150/- + ₹ 87,501.76/- + ₹ 24,380.21/- = 21,61,031.97/- as on 31.10.2025	13/11/2025	19/02/2026 (सांकेतिक आधिपत्य)	प्लॉट क्रमांक 63 (उत्तरी भाग), मंगल सागर कॉलोनी, ग्राम – सुरासा, तहसील – घाटिया, जिला – उज्जैन (म.प्र.), **क्षेत्रफल 69.70 वर्गमीटर, चर्तुःसीमाएँ :** उत्तरः कॉलोनी रोड, दक्षिण : प्लॉट क्रमांक 63 का शेष भाग, पूर्व : अन्य प्लॉट, पश्चिमः कॉलोनी रोड
3	श्री लोकेन्द्र जाट एवं श्रीमती मेघा जाट	₹ 45,82,807 + ₹ 2,07,018.51 + = 47,89,825.51 as on 31.10.2025	13/11/2025	19/02/2026 (सांकेतिक आधिपत्य)	प्लॉट क्रमांक 326, सैटेलाइट टाउनशिप, ग्राम – निहालपुर मुंडी, जिला – इंदौर (मध्य प्रदेश), क्षेत्रफल 92.93 वर्गमीटर **चर्तुःसीमाएं:** उत्तर– प्लॉट क्रमांक 325, दक्षिण – मकान क्रमांक 326-A, पूर्व – अन्य प्लॉट, पश्चिम– कॉलोनी रोड
4	श्री आनंद कुमार तिवारी एवं श्रीमती खुशबु तिवारी	₹ 35,43,709 + ₹ 69,765.61 + = 36,13,474.61 as on 31.10.2025	13/11/2025	19/02/2026 (सांकेतिक आधिपत्य)	प्लॉट क्रमांक V-139 (पश्चिमी भाग), सिलिकॉन सिटी, ग्राम निहालपुर मुंडी, जिला – इंदौर (मध्य प्रदेश), क्षेत्रफल 46.47 वर्गमीटर, **चर्तुःसीमाएं:** उत्तर–प्लॉट क्रमांक V-140, दक्षिण – सड़क, पूर्व– प्लॉट का शेष भाग, पश्चिम – प्लॉट क्रमांक V-126
5	श्री मोहम्मद अमीन एवं श्रीमती नबीला शेख	₹ 53,32,651/- + ₹ 6,89,732 + = 60,22,383/- as on 31.10.2025	13/11/2025	19/02/2026 (सांकेतिक आधिपत्य)	प्लॉट क्रमांक 08, सुकून विहार, ग्राम – खजराना, तहसील एवं जिला – इंदौर (मध्य प्रदेश), क्षेत्रफल 79.39 वर्गमीटर उक्त **चर्तुःसीमाएं :** उत्तर – प्लॉट क्रमांक 09, दक्षिण – प्लॉट क्रमांक 07, पूर्व – अन्य प्लॉट, पश्चिम– कॉलोनी रोड

*भुगतान तथा/या वसूली की दिनांक तक के लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित। तथापि, उपरोक्त दर्शित ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधि देय राशि के भगतान करने में असफल रहे हैं, उपरोक्त ऋणीयों/ तथा उनके प्रतिनिधियों को विशेषतः एवं सर्वसाधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि सपठित नियम 8 सहित कथित अधिनियम की धारा 13(4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत एच.डी.एफ.सी. के प्राधिकृत अधिकारीयों ने उपरोक्त दिनांक को यहाँ वर्णित अचल संपत्तियों/सुरक्षित आस्तियों का **सांकेतिक आधिपत्य** ले लिया है।
ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधियों को विशेषतः एवं सर्वसाधारण को सामान्यतः सावधान किया जाता है कि उपरोक्त अंकित अचल संपत्तियों एवं सुरक्षित आस्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार ने करें एवं सदर अचल सम्पत्तियॉ एवं सुरक्षित आस्तियॉ एच.डी.एफ.सी. के आधिपत्य में है। ऋणियों तथा उनके प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
पंचनामा की प्रतियां और विस्तृत सूची अधोहस्ताक्षरी के साथ उपलब्ध हैं, और यह कि ऋणियों/वैध वारिसों तथा उनके वैध प्रतिनिधियों को सामान्य कार्यालय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरित से संबंधित प्रतिलिपि एकत्र करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

स्थान : इन्दौर — **वास्ते/– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 24.02.2026 — **एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड**

भारत आएंगे कनाडाई प्रधानमंत्री कार्नी

नई दिल्ली 23 फरवरी. (वार्ता) कनाड़ा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी इस सप्ताह भारत यात्रा पर आयेंगे और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ मुलाकात के दौरान व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी के जरिये संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। कनाड़ा के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को बताया कि श्री कार्नी 26 फरवरी से सात मार्च तक भारत , आस्ट्रेलिया और जापान की यात्रा पर जायेंगे इस दौरान वह सबसे पहले भारत आयेंगे।

अपने व्यापार को दें नई ऊंचाइयां
नवभारत के माध्यम से

सीधे बैंक में आएगा बंद पड़े पीएफ खाते का पैसा

नई दिल्ली. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खाताधारकों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है. श्रम मंत्रालय ने पीएफ से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है. मंत्रालय की नई योजना के तहत, बंद पड़े खातों का पैसा बिना किसी कागजी कार्रवाई के सीधे आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा. इस नई योजना में उन इनऑपरेटिव या निष्क्रिय खातों को शामिल किया है, जिनमें एक हजार रुपये या उससे कम की राशि जमा है. विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, खाताधारकों को अब अपनी तरफ से कोई भी आवेदन जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिन लोगों के खाते आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं, उनके बैंक अकाउंट में विभाग द्वारा तुरंत पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा. बाकी बचे हुए खातों में भी धीरे-धीरे राशि पहुंचा दी जाएगी.

अंजदीप 27 को होगा नौसेना में शामिल

नयी दिल्ली. .भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पनडुब्बी रोधी युद्धपोत 'अंजदीप' को 27 फरवरी को नौसेना के बेड़े में शामिल किया जायेगा. रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अंजदीप आठ पनडुब्बी रोधी युद्धपोतों के निर्माण परियोजना का तीसरा युद्धपोत है और इसे 27 फरवरी को चेन्नई बंदरगाह पर पूर्वी नौसेना कमान में औपचारिक रूप से शामिल किया जाएगा.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि स्कूल कॉलेज की अंकसूची में मेरा नाम **नेहा परमार पिता श्री रामप्रसाद** है जिसे बदलकर **ज्योतिष परामर्श के अनुसार नेहा सिंह जडेजा** के नाम से जाना पहचाना जाए। भविष्य में सभी अभिलेख दस्तावेजों और लेखों में व्यवहार लेनदेन **नेहा सिंह जडेजा पिता श्री रामप्रसाद** के नाम से ही करूंगी
पताः वार्ड नंबर 6, वल्लभनगर कॉलोनी, आलोट नाका ताल, आलोट जिला रतलाम म. प्र.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्सः +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वगीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	116897026	होम लोन	04-02-2026	7,16,923.30/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं के नामः 1. जीवन सिंह राजपूत 2. उनराव सिंह देवड़ा 3. राधा कुँवर

संपत्ति का पताः मकान संख्या 300 वाली संपत्ति का वह पूरा हिस्सा, जिसका कुल क्षेत्रफल 816 वर्ग फुट (लंबाई 51 फुट और चौड़ाई 16 फुट) है, जो आबादी सर्वे संख्या 969, वार्ड संख्या 11, गांवः बरदियागोयाल, पीएच नं. 43, तहसीलः जावरा, जिलाः रतलाम, मध्य प्रदेश- 457118 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में गिरधारी जाट का मकान, पश्चिम में सड़क, उत्तर में भेरू सिंह का मकान, दक्षिण में करू सिंह का मकान।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) . इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
दिनांकः 24.02.2026 — **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)**
स्थानः मध्यप्रदेश

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd
कार्पोरेट कार्यालय: युनिट नं. 802, नटराज रुस्तमजी, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एवं एम.वी. रोड़, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400069.
नीमच शाखा: तल मंजिल वल्लभ भवन 6, विकास नगर, अम्बेडकर मार्ग, नीमच- 458441 (मध्य प्रदेश)
शुजालपुर शाखा: मकान नं. 17, वार्ड नं. 15, पंजाबी मोहल्ला, दिगम्बर जैन मंदिर रोड़, शुजालपुर मंडी, शुजालपुर जिला म.प्र.-465333

ई-नीलामी - बिक्री सूचना

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। इसके द्वारा सामान्य रुप से सर्वसाधाण को और विशेष रुप से ऋणी(यों) एवं जमानतदार(ओं) को सूचना दी जाती है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जिसका कब्जा आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', और 'जो कुछ भी है'** बिना किसी ज्ञात बाधा के आधार पर विक्रय किया जाएगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रं.	ऋणी(यो)/सह ऋणी(यो) /जमानतदार	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (RP)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) (RP का 10%)	कब्जे का प्रकार
1.	(लोन कोड नं. 14400000093 / नीमच शाखा) अब्दुल राशिद पिंजारा (ऋणी) रामजानी पिंजारा एवं रुखसाना बानो (सह-ऋणी) उसमान गनी (जमानतदार)	06-02-2025 & ₹ 4,33,837/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प्लाट नं. 251 कटीक मोहल्ला, वार्ड नं. 13, सदर बाजार रोड़ सरवानिया, महाराज तहसील जावद, जिला नीचम, मध्य प्रदेश 458220, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- रेन वॉटर लेन, पश्चिम- रफीक भाई का मकान, उत्तर- रोड़, दक्षिण- रेन वॉटर कीलेन	Rs. 16,57,600/-	Rs. 1,65,760/-	भौतिक
2.	(लोन कोड नं. 09110000470 / शुजालपुर शाखा) युसुफ शाह (ऋणी) सकीना बी (सह-ऋणी)	12-05-2025 & ₹ 4,49,659/-	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, जीएफ मकान नं. 138, ग्राम सुंदरसी सीरीयल नं.25, सुंदरसी तहसील पोलायकलां शाजापुर मध्य प्रदेश 465113, **चर्तुसीमाएँ:-** पूर्व- स्वयं की भूमि, पश्चिम- पब्लिक वे, उत्तर- मुस्तुफ शाह का मकान, दक्षिण- बुकी शाह का मकान	Rs. 6,72,000/-	Rs. 67,200/-	भौतिक

1. केवाईसी, निविदा प्रपत्र एवं स्वीकृत नियम एवं शर्तों (निविदा दस्तावेज) के साथ बयाना राशि का डीडी जमा करने की अंतिम तिथि **30-03-2026 शाम 5:00 बजे** तक ऊपर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर या **https://bankeauctions.com** पर अपलोड की गई है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त निविदा दस्तावेजों को अमान्य निविदा माना जाएगा और तदनुसार अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। **2.** संपत्ति के लिए बोली/प्रस्ताव (नीलामी तिथि) खोलने की तिथि **31-03-2026 दोपहर : प्रातः 10:00 बजे से 11:00 बजे तक https://bankeauctions.com** पर है। **3.** जैसा कि ऊपर बताया गया है, एएचएफएल संपत्ति पर लंबित किसी भी देनदारी के लिए जिम्मेदार नहीं है। संपत्ति की नीलामी **'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है' और 'जो है वह है' के आधार पर** की जाएगी। **4.** डिमांड ड्राफ्ट केवल 'आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में बनाया जाना चाहिए। **5.** नीलामी/बोली केवल वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से 'ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली' के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें। **6.** इच्छुक बोलीदाताओं को **https://bankeauctions.com/registration/ signup,** लिंक के माध्यम से पोर्टल मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर अपना नाम पंजीकृत करना चाहिए, और अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता वेबसाइट **https://bankeauctions.com** के माध्यम से सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से ई-नीलामी पर ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। **7.** अधिक जानकारी के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, **दिपक मालवीय, (संपर्क नंबर 7583898990)** या सेवा प्रदाता मेसर्स सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, **श्री प्रभाकरन, मोबाईल नं. +91-74182-81709, ई-मेल: tn@c1india.com & support@bankeauctions.com,** फोन नं. **+917291981124 /25 /26** से संपर्क करें। आज तक, एएचएफएल/ एएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों को बेचने, हस्तांतरित करने और/या निपटान करने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है। **8.** बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एएचएफएल), सुरक्षित ऋ णदाता की वेबसाइट यानी **www.aadharhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें। **9.** नीलामी के लिए बोली वृद्धिशील राशि **रु. 10,000/-** है। **10.** यह समाचार पत्र प्रकाशन एवं इसमें निहित डेटा आम जनता के प्रसार के लिए है। इस सामग्री का किसी भी रुप में या किसी भी माध्यम से, चाहे प्रिंट, डिजिटल, किसी भी रुप में इलेक्ट्रानिक प्रकाशन, ईमेल या वेब प्रकाशन, या किसी भी अन्य माध्यम से, संपूर्ण या आंशिक रुप से किसी भी तरह से पुनरुत्पादन, वितरण, प्रसारण या पुनर्प्रकाशन सख्त वर्जित है। किसी भी माध्यम से उपरोक्त सामग्री के किसी भी अनधिकृत उपयोग के परिणामस्वरुप AHFL द्वारा उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

सही/– प्राधिकृत अधिकारी
स्थान : मध्यप्रदेश, दिनांक : 24.02.2026 — **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**